

तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, श्रीदुंगरगढ़ जिला बीकानेर

नम्बर..... 44...../2017 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
पुवाद न :- राज्य सरकार बनाम श्रीपाराम

निर्णय

दिनांक :- 28.12.17

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रवली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ~~खसरा नम्बर 25~~ अंतर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट. 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश कि गैर सायल श्रीपाराम पुत्र/पत्नी श्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी झमूतवासी द्वारा ग्राम झमूतवासी के आराजी खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 हैक्टेयर किस्म भूमि जोहड़ पापतन भूमि में से 0.0450 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्बत् 2074 में नाजायज बाड़ा बना कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल बावजूद विधिवत नोटिस तामिल के असालन व वकालतन उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध दिनांक 06.10.17 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व सम्बन्धित कोई सन्तोषजनक जवाब/सबूत प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल श्रीपाराम का उक्त खसरा नंबर 25 तादादी 5.21 हैक्टर जोहड़ पापतन भूमि में से 0.0450 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल श्रीपाराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल श्रीपाराम पुत्र/पत्नी श्री चन्द्राराम जाति जाट निवासी झमूतवासी को ग्राम झमूतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 हैक्टेयर गै.मु. जोहड़ पापतन भूमि में से 0.0450 हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि का सम्बत् 2074 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.05 रुपये का 50 गुणा से 3=00 रुपये शास्ती आरोपित की जाती है।

तहसील राजस्वा लेखाकार का मांग कायमी, पटवारी हल्का का शास्ती राशि वसुली एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से क्रम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

श्रीदुंगरगढ़ (बीकानेर)